

नेपाल राजपत्र

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

काठमाडौं, कात्तिक ३० गते २०३३ साल

श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयको सूचना

जग्गा प्राप्त ऐन, २०१८ को दफा ७ को उप-दफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले महिला प्रशिक्षण केन्द्र पोखराको भवन निर्माण गर्नको लागि गण्डकी अञ्चल कास्की जिल्ला, बाटुले चौर गा.पं. वार्ड नं. १ मा पर्ने निम्नलिखित जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गरेकोले सम्बन्धित जग्गाधनीहरूले जग्गाको मोल र अरु नोकसानी बापत यस ऐन र जग्गा प्राप्त नियमहरू, २०२६ बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

पूर्व कालीखोलाको डिल, भीर, कि. नं. ३७७, पश्चिम महेन्द्र-गुका जाने सडक कि.नं. ६३, उत्तर कि.नं. १४६, बाबुकाजी गुभाजु र कि.नं. १५० बनसुवा गुरुङस्थानीको बाँकी जग्गा, दक्षिण कि. नं. १८० आइतसिङ तामाङ र कि. नं. १७६ दीपबहादुर खत्रीको बाँकी जग्गा यति ४ किल्लाभित्रको कि. नं. १५१ को दा.०।३।० पूरै, कि. नं. १५२ को दा.०।०।१

१५१ (७)
आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

नेपाल राजपत्र भाग ३

आज्ञाले-

श्री ५ को सरकारको सचिव

विद्यया विमुक्तये

॥ १ ॥
 ॥ २ ॥
 ॥ ३ ॥
 ॥ ४ ॥
 ॥ ५ ॥
 ॥ ६ ॥
 ॥ ७ ॥
 ॥ ८ ॥
 ॥ ९ ॥
 ॥ १० ॥
 ॥ ११ ॥
 ॥ १२ ॥
 ॥ १३ ॥
 ॥ १४ ॥
 ॥ १५ ॥
 ॥ १६ ॥
 ॥ १७ ॥
 ॥ १८ ॥
 ॥ १९ ॥
 ॥ २० ॥
 ॥ २१ ॥
 ॥ २२ ॥
 ॥ २३ ॥
 ॥ २४ ॥
 ॥ २५ ॥
 ॥ २६ ॥
 ॥ २७ ॥
 ॥ २८ ॥
 ॥ २९ ॥
 ॥ ३० ॥
 ॥ ३१ ॥
 ॥ ३२ ॥
 ॥ ३३ ॥
 ॥ ३४ ॥
 ॥ ३५ ॥
 ॥ ३६ ॥
 ॥ ३७ ॥
 ॥ ३८ ॥
 ॥ ३९ ॥
 ॥ ४० ॥
 ॥ ४१ ॥
 ॥ ४२ ॥
 ॥ ४३ ॥
 ॥ ४४ ॥
 ॥ ४५ ॥
 ॥ ४६ ॥
 ॥ ४७ ॥
 ॥ ४८ ॥
 ॥ ४९ ॥
 ॥ ५० ॥
 ॥ ५१ ॥
 ॥ ५२ ॥
 ॥ ५३ ॥
 ॥ ५४ ॥
 ॥ ५५ ॥
 ॥ ५६ ॥
 ॥ ५७ ॥
 ॥ ५८ ॥
 ॥ ५९ ॥
 ॥ ६० ॥
 ॥ ६१ ॥
 ॥ ६२ ॥
 ॥ ६३ ॥
 ॥ ६४ ॥
 ॥ ६५ ॥
 ॥ ६६ ॥
 ॥ ६७ ॥
 ॥ ६८ ॥
 ॥ ६९ ॥
 ॥ ७० ॥
 ॥ ७१ ॥
 ॥ ७२ ॥
 ॥ ७३ ॥
 ॥ ७४ ॥
 ॥ ७५ ॥
 ॥ ७६ ॥
 ॥ ७७ ॥
 ॥ ७८ ॥
 ॥ ७९ ॥
 ॥ ८० ॥
 ॥ ८१ ॥
 ॥ ८२ ॥
 ॥ ८३ ॥
 ॥ ८४ ॥
 ॥ ८५ ॥
 ॥ ८६ ॥
 ॥ ८७ ॥
 ॥ ८८ ॥
 ॥ ८९ ॥
 ॥ ९० ॥
 ॥ ९१ ॥
 ॥ ९२ ॥
 ॥ ९३ ॥
 ॥ ९४ ॥
 ॥ ९५ ॥
 ॥ ९६ ॥
 ॥ ९७ ॥
 ॥ ९८ ॥
 ॥ ९९ ॥
 ॥ १०० ॥

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागू हुनेछ।